© 2017 IJSRST | Volume 3 | Issue 7 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X

महिला सशक्तिकरण का माध्यम स्थानीय शासन

रमेश चन्द्र यादव

(पी.एच.डी, शोधछात्र)

एशियन एंड सेन्ट्रल एशियन स्टडीज स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली

महिला सशक्तिकरण के राजनीतिक आयाम तथा इनका आर्थिक आयाम से घनिष्ठ रूप से संबंध है.ऐसी स्थिति में महिलाओं के आर्थिक उत्थान की दिशा में किए गए प्रयास महिला सशक्तिकरण को सफल बनाता है. भारत में महिला सशक्तिकरण को लेकर अब तक अनेक प्रयास हुए जिसमें पंचायती राज भूमिका सबसे कारगर साबित हुई.

हमारा देश भारत गांव का देश है इसलिए ग्रामीण महिलाओं के उत्थान से महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को मजबूती से जुड़ा हुआ देखा जा सकता है.

आजादी के उपरांत भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता और न्याय को अधिक महत्व देते हुए लोकतांत्रिक जन सावलता को बढ़ावा दिया गया जिसमें पुरुषों और महिलाओं में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया गया समानता के आधार पर यह समानता सैद्धांतिक ही रहे व्यवहारिक रूप में इसे तभी प्राप्त किया जा सकता है जब महिलाओं की राजनीतिक संस्थाओं में समानता को बढ़ावा दिया जाता है. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रथम स्तर में महिलाओं की बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास योजनाएं चलाई गई परंतु जागृत और उत्साह के अभाव में कार्यक्रम जनजीवन की पर इसे बाहर ही रहे साथी जन सहयोग और प्रशासन में सीधी भागीदारी के लिए 2 अक्टूबर 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई1. त्रिस्तरीय पंचायती राज की रूपरेखा तैयार कर लोकतंत्र के तीन मूल स्तर पर अधिक सफलता के रूप में एक नया अध्याय शुरू हुआ प्रतीत हुआ इसे आगे बढ़ाते हुए 1977 में अशोक मेहता समिति 1985 में GB राव समिति 86 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1988 में पी के थुंगन समिति योगदान दिया लेकिन पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास 1992 में 73 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया2.

स्थानीय शासन को सुदृढ़ता और व्यवहारिकता देने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों के मिले-जुले शुरू आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने और एकरूपता के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने 73 वां संवैधानिक संशोधन 1992 में पारित किया. सभी राज्यों जिनकी जनसंख्या 2000000 से अधिक है में त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना का प्रावधान रखा गया 73 वें संशोधन की अनुपालन में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 दिनांक 23 अप्रैल 1994 को पारित हुआ. इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर जिला प्रखंड ग्राम पदों पर महिलाओं का एक बटा तीन आरक्षण सुनिश्चित किया गया जिसके माध्यम से 33% महिलाएं पंच सरपंच प्रधान तथा जिला प्रमुख का पद प्राप्त की3.

पंचायती राज के महत्व का असर महिला सशक्तिकरण पर पड़ा इसके माध्यम से स्थानीय सामाजिक स्तर पर बदलाव आया जिसके परिणाम स्वरुप राजनीतिक सशक्तिकरण के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है. यह ठीक उसी प्रकार है जैसे भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक समानता के सिद्धांत में राजनीतिक समानता के दीवारों को कमजोर किया है. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण के प्रावधान ने देश की महिलाओं को राष्ट्र की मुख्यधारा में सम्मिलित होने का रास्ता साफ किया तथा महिलाओं की भागीदारी का प्रयोग अपने आरंभिक चरण में सफल हुआ किंतु भारत में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था होने के कारण महिलाओं में पर्दा प्रथा और शिक्षा और कई स्थानों पर महिला प्रधान सरपंच की पतियों ने खुलेआम उनके स्थान पर कार्य करने का प्रयत्न किया. महिला जनप्रतिनिधियों के मार्ग में बाधाओं के निवारण के लिए उनकी प्रभावपूर्ण भूमिका के निष्पादन के लिए शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन होना चाहिए 4.

पंचायती राज में कुछ कार्य केवल महिलाओं के लिए ही आरक्षित किए जाएं इन कार्यों में महिला शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जाए महिला जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध होने वाले उत्पीड़न के मामले में एक निश्चित और कठोर दंड का प्रावधान किया जाए महिला प्रतिनिधि के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना जरूरी है साथ ही साथ जागरूकता जालौर प्रपंच का विरोध एवं कार्यकुशलता ऐसे कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा महिला सशक्तिकरण का स्वप्न देखा जा सकता है साथी महिला जनप्रतिनिधियों के प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष उनके अपने विकास कार्यों के आधार पर सम्मानित करने की की व्यवस्था की जाए.

73वां संशोधन पंचायतों में आधी दुनिया को 33% आरक्षण दिया जा चुका है जिसके जरिए आज भारी संख्या में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके5.

स्थानीय शासन में समाज के प्रत्येक वर्ग की महिलाओं को आरक्षण निश्चित रूप से लेकर ग्राम विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास काफी सराहनीय रहा यदि समाज में कार्य जागरूकता द्वारा लाई जाए तो विकास के सारे कार्यक्रम चाहे वह मजदूरी रोजगार से संबंधित हो यशो रोजगार से संबंधित होने से

गांव को विकसित किया जा सकता है. और इस प्रकार के कार्यों में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व आगे चलकर विधायिका में भी आरक्षण का रास्ता खुलेगा इस प्रकार विधायिका में मिले आरक्षण से महिलाओं की राष्ट्रीय विकास में भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है और यह भारतीय राजनीति की नई दिशा प्रदान करेगा.

भारत की पंचवर्षीय योजनाएं दृष्टि डालने से यह प्रतीत होता है कि गरीबी के कारण महिलाओं की खराब दशा को सुधारने के लिए अनेक उपाय किए गए साथ ही निर्धन परिवारों महिलाओं को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का कार्य प्रथम रहा है जिसके तहत महिला और बाल विकास के अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए शुरुआती दौर में महिलाओं के संबंध में कल्याणकारी दृष्टिकोण अपनाया गया और उसके लिए कार्य के अनमोल वातावरण तैयार करने सामाजिक सुरक्षा पुरुषों के समान वेतन मजदूरी दिलाने के प्रयास आदेश में शामिल हैं. तीसरी पंचवर्षीय योजना के उपरांत कल्याणकारी कार्यक्रमों जैसे मातृत्व लाभ कौशल सुधार कार्यक्रमों से जोड़ा गया जिसमें वह सक्षम हो कर लाभान्वित हो सके6. 2 अक्टूबर 1975 को समन्वित बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसमें बाल विकास के संपूर्ण रूपरेखा बनाकर महिला और बच्चों को लाभांवित करने का कार्यक्रम लागू किया गया. योजनाओं में महिलाओं के प्रति विकास का दृष्टिकोण अपनाया गया और इसके परिणाम स्वरुप केंद्र में महिला और बाल विकास विभाग का सृजन किया गया राज्यों में महिला और बाल विकास विभाग गठित किए गए महिलाओं को सशक्त बनाने उन्हें उद्यमिता के माध्यम से विकास की धारा में जोड़ने के लिए महिला विकास निगम की स्थापना की गई उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए संगठित प्रयास किए गए और कामकाजी महिलाओं के लिए आवास बच्चों के बालवाड़ी का प्रावधान किया गया.

सातवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष का प्रावधान किया गया जिसमें अधिकाधिक महिलाओं को वित्त उपलब्ध करा कर उन्हें आर्थिक कार्यक्रमों से जोड़ा गया7. परंतु महिला सशक्तिकरण की अवधारणा सातवीं योजना में रखी जा चुकी थी लेकिन 8वी और 9वीं पंचवर्षीय योजना में इसे अत्यंत बल मिला और अनेक परियोजनाएं जैसे स्वयं शक्ति, किशोरी शक्ति महिला समृद्धि इंदिरा महिला योजना आदि प्रारंभ की गई लेकिन महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था 73 वें और 74 वें संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा उन्हें पंचायत और नगर पंचायत में आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान हुआ. जिसके परिणाम स्वरुप विकास की प्रक्रिया में महिला भागीदारी सुनिश्चित हुई तथा विकासोन्मुखी वातावरण तैयार करने में अहम भूमिका बन कर उभरी. संस्थाओं की बढ़ती भागीदारी के साथ-साथ महिलाओं में को भी अवसर प्रदान हुआ और कल्याणकारी विकासात्मक योजनाओं के सही क्रियान्वयन द्वारा अपना विकास सुनिश्चित कर सकें और अभी तक निरंतर प्रयासों के बावजूद विकास की मुख्यधारा से बनी दूरी को मिटा सके8.

पिछले 15 16 वर्षों में महिला सशक्तिकरण का एक नया दौर ग्रामीण स्तर पर या जमीनी स्तर पर शुरू हुआ त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी के लिए की गई व्यवस्था एक क्रांतिकारी कदम 73 व 74 वें संशोधन के द्वारा देश की ग्रामीण और नगरीय दोनों पंचायतों में 35% आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित किया गया तथा कई राज्यों में आरक्षण 36 से 37% तक तथा कुछ राज्यों जैसे बिहार तमिलनाडु में महिलाओं के इस निर्धारण आरक्षण में बढ़ोतरी होकर यह 50% तक पहुंच गया. जिसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में 12 लाख के करीब निर्वाचित महिलाओं को जनप्रतिनिधियों के रूप में अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व अधिकार प्राप्त हुए जो दुनिया के कुल निर्वाचित महिलाओं से कहीं ज्यादा है10. अब उन्हें लोकतंत्र के आधारभूत स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया में कदम रखने का अवसर मिला.

स्तर पर महिलाओं को मिले आरक्षण ने न केवल उन्हें घर की चौहद्दी से बाहर निकाला बल्की पुरुषों के बराबर राजनीतिक दबदबे को भी थामा सही मायने में पर्दे के पीछे धकेल छिपी एक पूरी जमात की दुनिया ही बदल दी भले वह सदन के कोने में बैठे हैं उनकी गिनती अब उतनी कम ही नहीं है कि उन्हें अनदेखा किया जा सके. पंचायती राज्य मंत्री मणिशंकर अय्यर का कहना सही है कि भारत में एक मौन लोकतांत्रिक क्रांति हो रही है जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक रूप लेने में भले ही दिखाई नहीं दे रही हो पर उसकी धीमी आंच भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बना रही है स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी पंचायती राज पर सामुदायिक जीवन और उसकी चेतना तथा संस्कृत में परिवर्तन लाया है राजनीतिक हलके में महिलाओं की ऐसी शानदार धमक का नतीजा है कि कस्बाई क्षेत्रों में तरक्की से जुड़े सरकार की तमाम योजनाएं स्त्रियों को मद्देनजर रखकर बनाई जाने लगी. ग्राम रोजगार योजना को ही ले तू इसके तहत ब्लॉक में कम से कम 50% कामगार समूह महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए इसी तरह जवाहर समृद्धि योजना में 30 फ़ीसदी रोजगार महिलाओं को रिजर्व किए गए11. साथियों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जितने लोगों को काम दिया जाएगा उनमें से कम से कम एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए केंद्र सरकार की मदद से चलाई जाने वाली इंदिरा आवास योजना में यह शर्त रखी गई कि मकान या तो महिलाओं के नाम से आमंत्रित होगा या फिर पुरुषों के साथ महिलाओं का भी नाम होगा12.

चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलने के बाद राजनीति में उनके लिए रास्ते खोले थे अब इन महिलाओं ने इस राह पर तेजी से चलना शुरू किया जैसे बिहार के राजपुर पश्चिमी चंपारण जिला के जिला परिषद सदस्य लालसा देवी का मानना है कि महिलाएं समाज सेवा का काम पुरुषों से बेहतर तरीके से कर सकती हैं महिलाएं घर की चौखट से बाहर निकलकर पंचायतों के विकास में जुड़ी हैं सातवीं पास लालसा देवी अपने इलाके में पानी बिजली स्वास्थ्य और महिलाओं की शिक्षा के लिए लगातार काम

कर रही हैं और काफी हद तक कामयाबी भी मिली है वह दावा करती हैं को अपने पद का रबर स्टैंप नहीं है.

नवीन पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण से ना केवल मिड डे मील कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान संपूर्ण ग्रामीण स्वच्छता मिशन ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन में अंतर दिखाई पड़ा बल्कि ग्रामीण महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई. दमन शोषण अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत बढ़ी साथी आत्मविश्वास जोश भी आया वह अपने आसपास की घटनाओं के प्रति सजग हैं ग्रामीण इलाकों में होने वाले रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता देखी गई उनमें राष्ट्र समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव सुनिश्चित हुआ दिल्ली भले ही उनके लिए भी दूर हो मगर सफर शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश को ही देखें तो वहां जिला पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 33% सीटें सूरत सुरक्षित हैं महिलाओं के सीटों के अलावा 20 दूसरी सीटों पर जीत हासिल कर ली उत्तर प्रदेश की 69 जिला पंचायत अध्यक्षों में 52 महिलाएं हैं 17 स्थानों पर पूर्व जीत हासिल कर पाए. उत्तर प्रदेश के 5 बड़े जिलों कानपुर इलाहाबाद वाराणसी आगरा और लखनऊ में महिलाओं का कब्जा रहा.

आरक्षण के माध्यम से ही सही महिलाओं ने अपने लिए हुआ जंग जीत ली जहां से उनकी तरक्की की राह खुलती है आरक्षण किस आधार से न केवल अग्नि तत्व की शहरी और गवाही महिलाओं में जो जगाया बल की तादात में दलित पिछड़े तबकों की महिलाओं की नुमाइंदगी मिली ग्राम पंचायतों पंचायत समितियों और जिला पंचायतों में जनता द्वारा चुने गए 3400000 प्रतिनिधियों में 1100000 से अधिक महिलाएं 750000 दलित तबके के लोग थे और 7:30 लाख में दलित महिलाओं की तादाद करीब 250000 की .

पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया द्वारा कराए गए रिसर्च में महिलाओं की भागीदारी और उनकी में आए बदलाव पर सर्वे कराया गया जिसमें 25% महिलाएं पंचायतों में जगह बनाने के बाद अपने घर परिवार में भी दबदबे वाली हो गई यही नहीं उनके करीबी सगे-संबंधियों के अलावा मुहल्ले मायके में भी उनका वजूद बड़ा.

लेकिन राजनीतिक सशक्तिकरण से ही महिलाओं का संपूर्ण विकास नहीं हो सका राजनीतिक सशक्तिकरण की दृष्टि से भारत की महिलाओं का स्थान 128 देशों में 21 स्थान पर है लेकिन आर्थिक भागीदारी शैक्षणिक मामले स्वास्थ्य की दृष्टि से भारतीय महिलाओं की पूरे विश्व में रैंकिंग 122 116 और 126 है18.

इस प्रकार सशक्तिकरण का लक्ष्य महिलाओं का शिक्षित होना अति आवश्यक है वह परिवार को शिक्षित करती हैं शिक्षित महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक में आगे बढ़ती हैं क्योंकि आत्मनिर्भर आत्मविश्वास से भरे होने के कारण वह अपनी समस्याओं का स्वता समाधान करने में सक्षम होते हैं19.

पंचायतों के माध्यम से प्राप्त राजनीतिक अधिकार सशक्तिकरण की एक दिन है जो पिछले 12 वर्षों में देश के भीतर राजनीतिक बहस में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया कई राज्यों में पंचायतों और नगर पालिका में महिलाओं की उपस्थिति 35% से अधिक है जैसे कर्नाटक में 45% केरल में 39 प्रतिशत पश्चिमी बंगाल में 37% है21.

राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी से राजनीतिक प्रक्रिया शासन की गुणवत्ता में सुधार आया जीविका से जुड़े आर्थिक मुद्दों सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में भी स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा बुनियादी सुविधाओं का विस्तार अधिक हो सका क्योंकि उसमें प्राथमिकता आवश्यकताएं उसी तरह की थी22.

बिकाऊ और पंचायतों में भी महिलाओं को तिहाई आरक्षण के प्रावधान से राज्यों और संसद की विधायिकाओं में भी महिलाओं को आरक्षण देने का दबाव बढ़ा परंतु संभव है कि आने वाले दिनों में यह दबाव देखने को मिली23. विगत वर्षों की भागीदारी से यह सिद्ध हो गया कि पंचायतों में महिलाओं की जनसंख्या स्तरीकरण लैंगिक असंतुलन में सुधार तथा महिलाओं के हितों को प्रोत्साहित करने में सबसे प्रभावशाली और संवेदनशील माध्यम है. जिसके माध्यम से समाज में धार्मिक अंधविश्वासों जड़ता रूढ़िवादियों कुशासन भ्रष्टाचार के समाप्ति में महिलाओं के प्रतिकूल वातावरण में भी काम किया. महिलाओं की भागीदारी नागरिक समाज के उन्नयन खाद्य सुरक्षा ऊर्जा सुरक्षा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पर्यावरण सुरक्षा आदि जैसे ज्वलंत और संवेदनशील मुद्दे इसका प्रत्यक्ष संबंध महिलाओं से है के लिए सशक्त माध्यम है. ग्रामीण विकास और महिलाओं के विकास जैसे चिंतन का विकास हुआ और एक नई चेतना के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई.

पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी का प्रयोग देश कौन है समय ज्यादा सफल रहा जहां पहले से ही स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी रही अथवा राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम को अपना समर्थन दिया परंतु स्थितियां अनुकूल नहीं हैं या राजनीतिक दलों का सकारात्मक सहयोग नहीं मिला वहां महिलाएं अपने वाजिब अधिकारों से आज भी वंचित हैं पंचायतों से चुने जाने के बाद भी महिलाएं अपनी क्षमताओं का परिचय दे सकने में सक्षम है इसके लिए कई औपचारिक उपाय अपना लिए गए हैं जो उन्हें बहुत से पंचायतों में पुरुष से महिला के नाम पर चुनाव लड़ते हैं वह अपनी पत्नी किसी अन्य रिश्तेदार को मैं द्वार बनाते हैं और जाते हैं पंचायतों के प्रतिनिधि के रूप में सारा काम खुद ही देखते हैं. साथी जो महिला सरपंच बहुत प्रभावशाली है आत्मविश्वास से संपन्न है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे पंचायतों से बेदखल कर दिया जाता है. 2 बच्चों का नियम इसका सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को ही उठाना पड़ा सरपंच महिला कुत्ते नहीं कर सकती है उसका तीसरा बच्चा होगा या नहीं यह निर्णय उसका पति करता है लेकिन तीसरा बच्चा हो जाने पर सरपंच से उसकी पत्नी को हटा दिया जाता है.

महिलाओं के संपूर्ण और वास्तविक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है पंचायतों का सशक्तिकरण हो क्योंकि कमजोर पंचायतें मजबूत महिलाओं को भी कमजोर बना देती है जाट अंतर पंचायतों के पास अपना कोई राजस्व नहीं है नीति निर्माण करने का प्रावधान भी नहीं है न्याय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के विकेंद्रीकरण का सर्वथा अभाव है जिससे पंचायती राज को विकास में बाहर के रूप में देखने की वजह विकास कोई पंचायती राज के बाहर के रूप में देखना चाहिए तभी वास्तविक सशक्तिकरण संभव हो सकेगा हमें यह याद रखना होगा कि केवल ऊपर से नीचे सत्ता के हस्तांतरण से सुशासन को अपने मूल रूप में स्थापित कर पाना संभव नहीं है क्योंकि लोकतंत्र शासन की इकाई के आधार पर नहीं शासन के गुणवत्ता के आधार पर निर्भर करता है लोकतंत्र का मतलब स्थानीय क्षेत्र को छोटी छोटी मात्रा में सत्ता पकड़ा देने से नहीं होता है. लोकतंत्र का मूल मंत्र क्षेत्र से ना होकर व्रत में निहित होता है इसलिए हमें गांधीवादी स्वरूप वाला स्वशासन देखना पड़ता है24.

देश में महिलाओं की भागीदारी अब तक की स्थिति का विश्लेषण करें तो कुल मिलाकर उनकी सफलता और सत्ता में भागीदारी बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों किसी भी परिस्थिति में संतोषजनक करना अच्छा नहीं हो सकता है इस तथ्य से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि किसी भी अपेक्षित अथवा पिछड़े वर्ग को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए उसे आर्थिक शैक्षणिक सामाजिक प्रशासनिक क्षेत्र में विकसित वर्गों के समकक्ष लाने में राजनीति की भूमिका होती है ऐसे वर्गों की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए तो निश्चित रूप से अपने विकास के लिए अवसर प्राप्त हो सकेंगे देश के राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की भागीदारी का अवलोकन करने पर यह निश्चित पता चलता है की स्वतंत्रता के पश्चात कराए गए आम चुनाव में लोकसभा में चुनी गई महिलाओं की संख्या आजादी के 70 वर्ष के बाद भी 10% का आंकड़ा को प्राप्त नहीं कर पाई.

यह निश्चित है कि राजनीतिक भागीदारी बढ़ने से महिलाओं को उनके अन्य क्षेत्रों में उनकी भागीदारी स्वयं सुनिश्चित हो जाएगी अतः त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में भागीदारी निश्चित करने के लिए महिलाओं को अब अतिशीघ्र महिला आरक्षण संबंधित संशोधन पास करके संसद और विधान मंडलों में उनका 33% भागीदारी निर्धारित करने का समय आ चुका है बल्कि राजनीति के सभी स्तरों पर 50% उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा जाना चाहिए साथी आर्थिक न्याय प्रशासनिक विकास के क्षेत्रों में उनकी 50% भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सभी स्तरों पर व्यापक प्रयास करने होंगे

संदर्भ ग्रंथ

1-जैन,पुखराज तथा कुमार, अशोक भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पी एंड डी आगरा पृष्ठ -172.

2- नारंग, भारतीय शासन एवं राजनीति गीतांजलि पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली पृष्ठ- 261.

3- कुरुक्षेत्र, अगस्त 2006, प्रकाशन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार.

4- अवस्थी एपी, इंडियन पोलिटिकल सिस्टम लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा पृष्ठ 189.

5- बसु DD भारतीय संविधान एक परिचय बाधवा प्रकाशन नागपुर.

6 कटारिया, सुरेंद्र

7- वही

8- वही

9- योजना सितंबर 2010 पृष्ठ 35.

10- बिहार समाचार मई 2011 सूचना एवं प्रसारण विभाग दिल्ली.

11- भारत 2008 प्रकाशन विभाग दिल्ली,

12- कुरुक्षेत्रा अगस्त 2006 प्रकाशन विभाग.

13- बिहार समाचार अप्रैल 2011 सूचना एवं प्रसारण विभाग.

14- दैनिक जागरण, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, पटना दिनांक 21 अक्टूबर 2008.

15- हिंदुस्तान, दैनिक समाचार पत्र, इलाहाबाद दिनांक 25 अप्रैल 2010.

16- वही.

17 -वही.

18- प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2011.

19- वही.

20 -कुरुक्षेत्र अगस्त 2006 पृष्ठ 31.

21 - वही, पृष्ठ 31.

22- वही पृष्ठ 31.

23- वही पृष्ठ 32.

24- वही पृष्ठ 32.

25 -वही पृष्ठ 52.